



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1938 (श०)

(सं० पटना 650) पटना, बुधवार, 10 अगस्त 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएँ

10 अगस्त 2016

एस०ओ० 184, दिनांक 10 अगस्त 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27/2005) की धारा—14 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, समय—समय पर यथासंशोधित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 24, दिनांक 24 मार्च, 2005 के साथ उपाबद्ध तालिका में निम्न संशोधन करते हैं :—

संशोधन

- उक्त तालिका में क्रम संख्या 5 एवं 6 तथा स्तम्भ 2 एवं 3 की अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा :—

तालिका

क्र०सं०	मालों का विवरण	दर ^(प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
5	मोटर स्प्रीट (पेट्रोल)	26.00
6	हाई स्पीड डीजल ऑयल तथा लाईट डीजल ऑयल	19.00

- यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं० बिक्री कर/संशोधन—०४/२०१४—३०५७]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

10 अगस्त 2016

एसओ० 185, एसओ० 184, दिनांक 10 अगस्त 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री कर/संशोधन-०४/२०१४-**३०५८**]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 10th August 2016

S.O. 184 dated the 10th August 2016—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the table appended to Commercial Taxes Department notification no. S.O. 24 dated 24th March, 2005 as amended from time to time,

Amendment

1. In the said Table, for serial number 5 and 6 and their corresponding entries in columns 2 and 3, the following entries shall be substituted in the following way namely:-

TABLE

Sl. No.	Goods	Rate (in percent)
(1)	(2)	(3)
5	Motor Spirit (Petrol)	26.00
6	High Speed Diesel Oil and Light Diesel Oil	19.00

2. This notification shall come into force from date of its issue.

[F. No. Bikri-kar/sansodhan-04/2014-**३०५७**]

By the order of Governor of Bihar

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 650-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>